

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 129/2022 राजस्व अपील

1. गिराज प्रसाद पुत्र कन्हैयालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम राणोली तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बहरावण्डा जिला दौसा।

रेस्पोजेन्ट

(अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 10.09.2018 नायब तहसीलदार बहरावण्डा उनवानी प्रकरण सरकार बनाम गिराज मुकदमा संख्या 51/2018 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम)

उपस्थिति : श्री सी. एल. मीना, अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित।

: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक: 14.07.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्त के विरुद्ध पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अपीलान्त ने ग्राम राणोली स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 169 रकबा 0.25 है. किस्म चरागाह पर सम्वत 2075 में काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित कर अपीलान्त को 30 दिवस के सिविल कारावास, बेदखली व पेनल्टी से दण्डित कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 10.09.2018 से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोजेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही यह निर्णय पारित किया है। अपीलान्त का वर्तमान में किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। पटवारी हल्का ने झूठी मौका रिपोर्ट पेश की है। अपीलान्त की ओर से शपथ पूर्वक यह निवेदन किया कि अपीलान्त ने ग्राम राणोली तहसील सिकराय स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 169 रकबा 0.25 है. पर से अपना अतिक्रमण पूर्ण रूप से हटा लिया है एवं अपीलान्त भविष्य में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेगा। अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा अपील अपीलान्त स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्त ने ग्राम राणोली तहसील सिकराय स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 169 रकबा 0.25 है. पर बाजरा की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही कर अपीलान्त को 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा व पेनल्टी से दण्डित किया गया है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपील अपीलान्त खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्त द्वारा ग्राम राणोली तहसील सिकराय स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 169 रकबा 0.25 है. पर से अपना अतिक्रमण पूर्ण रूप से हटा लिया जाना व्यक्त किया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि ग्राम राणोली तहसील सिकराय स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नम्बर 169 रकबा 0.25 है. पर से अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण हटा लिये जाने एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किये जाने बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा सत्यापित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.09.2018 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 10.09.2018 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भण्डार की जावे।

( सुरेश कुमार )

अति० जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 14.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

( सुरेश कुमार )

अति० जिला कलक्टर ,दौसा

